को हम कुछ काम पर लगा सके तो अच्छा होगा । लेकिन यह तभी संभव हो सकेगा जब उस के लिए सारे साधन पूरे हों ।

श्री चन्द्र शैलानी मुझे मंत्री जी का उत्तर सुन कर बहुत निराशा हुई है । मैं अलीगढ़ जिले का रहनेवाला हूं, हमारे यहा पचास फीसदी डाक्टर लोग और लाला लोग ऐसे है जिन की यह काम सौंपा गया है । मैं चाहता हूं कि इस मे सुधार होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, मैंने आप को इजाजत नही दी है ।

श्री भागीरथ भवर माननीय मत्री जी ने बताया कि मध्य प्रदेश के कुछ गाव ऐसे है जो घाटे की वजह से डाकखानो से वचित हैं ।

पिछले दिनों मध्य प्रदेश मे कई ग्राम पंचायतों के माध्यम से आप को लिखा गया कि इस काम मे जो घाटा होता है उस को पूरा करने के लिये हम थोड़ा थोड़ा किश्तो मे जमा करा देंगे, आप उन डाकखानों को खोल दीजिए । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने प्रश्न आप के पास विचाराधीन है और उन में आप कब तक निर्णय ले लेंगे ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इस पर कई बार विचार किया गया है । जहां तक ग्राम-पचायतों का प्रश्न है, हम ग्राम पचायतों को पूरा महत्व देकर चलते हैं । लेकिन इस काम में राज्य सरकारों की गारन्टी चाहिये, ग्राम पंचायतें कभी कभी अपनी गारन्टी पूरा नहीं करती हैं, क्योंकि वे इलैक्टेड बाडीज हैं, उन के सदस्य आते हैं और जाते हैं । फिर भी अगर कोई खास केस आप मेरी नोटिस में लायेंगे तो मैं जवाब दे सकूंगा ।

निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सम्पत्ति की घोषणा

+

*316. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत जुलाई-अगस्त के दौरान अनेक समाचार पत्रों ने अपने सपादकीय तथा लेखो मे लिखा था कि स्वस्थ्य तथा प्रगतिशील राजनैतिक वातावरण के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधी अपनी निजी अथवा अपने नियत्रणाधीन चल तथा अचल सम्पत्ति की सार्वजनिक रूप से घोषणा करे ,

(ख) क्या सरकार ने इस माग पर विचार किया है तथा इस सबध मे कोई निर्णय किया है , और

(ग) यदि हा, तो तत्सबंधी मुख्य बाते क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन : (क) सरकार ने इस विषय पर कुछ रिपोर्ट देखी है ।

(ख) और (ग) मत्रियों के लिये पहले से ही एक आचार संहिता है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि मंत्री को अपनी परि-संपत्तियों और देनदारियो के बारे मे और उसके तथा उसके परिवार के लोगों के कारो-बार के हितों के बारे मे प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री को जैसी भी स्थिति हो, बताये और साथ ही अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में वार्षिक घोषणा पेश करे । वे दस्तावेज गोपनीय माने जाते है । ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नही हो रहा है कि और चुने हुए सदस्यों को भी इसी तरफ घोषणा पेश करनी चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार जनप्रतिनिधित्व कानून में कोई ऐसा संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिसके अनुसार चुनाव के पूर्व समय या विधान मंडल के लिये लड़नेवाले हर एक उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक हो कि वह अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति का सारा ब्यौरा दे। यदि नहीं कर रही है तो क्यों ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: There is no such proposal under consideration.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Why?

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: Many matters will have to be considered before this, as he says, if possible contestants will have to file their assets and liabilities before filing their nomination. It will lead to many difficulties.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: What difficulties?

MR. SPEAKER: You better put syour question.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी श्री मोहसिन ने कहा कि मंत्रियों के लिये यह आचार-संहिता बनी हुई है कि वह अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा केन्द्र मे प्रधान मंत्री को और प्रदेश में मुख्य मंत्री को दे। लेकिन क्या यह सच है कि यह ब्योरा प्रकाशित नहीं किया जाता है ? यदि प्रकाशित नहीं किया जाता है तो इस ब्यौरा के देने का अर्थ क्या है, जनता को यह कैसे पता लगेगा कि सम्पत्ति का जो विवरण दिया गया है, वह ठीक है या गलत है ?

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: This matter has been considered and it is thought desirable that these assets and liabilities statements, submitted to the Prime Minister or to the Chief Ministers be treated as confidential documents.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, is it a reply to my question. Why are these documents being treated as confidential? Is not the public entitled to know the whole truth about the assets of the Ministers? How these documents are to be scrutinised unless they are made public? The Minister says it is not desirable—desirable for whom?

SHRI K BRAHMANANDA REDDY: It is not desirble that these Statements of assets and liabilities should be made public documents.

SHRI N. K SANGHI: Under the law of land any person owning property of more than Rs 50,000 has to file wealth tax return and this can be obtained by any person as per the law. I want to know whether Government does not think it sufficient?

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: That is so.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, यह क्या जवाब दिया गया है ? यह सवाल अभी खत्म नहीं होगा, क्या इस तरह के जवाब दिये जायेंगे ? श्री संघी ने पूछा क्या यह सच नहीं है कि जब वेल्थ टैक्स के बारे मे विवरण देना पड़ता है तो सारी जायदाद का विवरण देना पड़ता है ? क्या सरकार विचार करेगी कि जब वैल्थ टैक्स के विवरण के बारे में सारी जायदाद का ब्यौरा उपलब्ध है, तब इस को कन्फीडेन्शल रखने का क्या मतलब है ? क्या इसी लिये कि वेल्थ टैक्स रिटर्न का ब्यौरा अलग होता है और प्रधान मंत्री को दिया गया विवरण अलग होता है ?

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: It does not mean that every Minister who is appointed has to submit a wealth tax return unless under that law he is compelled to submit a wealth tax return. There may be other Ministers who do not fall under the wealth tax return but submit their assets and liabilities to the Prime Minister and the Chief Minister as the case may be.

SHRI H. N. MUKERJEE: Since under the law and convention the Prime Minister and the Chief Minister are already entitled to look into the statements submitted by the relevant Ministers may I know how is it that the subjective satisfaction of the individuals kept confidential is to satisfy the public when it is on account of public demand that the examination of the assets and liabilities of the Ministers has been made a matter of examination by the Prime Minister and the Chief Minister.

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: When the Ministers are appointed, according to the code of conduct, the Ministers submit their statements of assests and liabilities. If allegations are made against the Ministers about the inaccuracy or otherwise of those statements, it is for the Leader of the Party, the Prime Minister or the Chief Minister, as the case may be, to look into them.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Unless the documents are made public, how can allegations be made?

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: It is not a question of making it public and when it is a confidential document, it means the Leader of the Party, the Prime Minister or the Chief Minister, as the case may be, is entitled to look into it. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Please do not interrupt him.

Now the question hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Transfer of Chandigarh to Punjab

307. SHRI VIRBHADRA SINGH:
SHRI BISHWANATH JUNJHUNWALA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to postpone the transfer of Chandigarh to Punjab in January, 1975; and

(b) if so, the reasons for the same?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI K. BRAHMANANDA REDDY): (a) and (b): Consultations with the State Governments concerned on matters arising out of Government's decisions on Punjab disputes, which were announced in the Press Communique dated the 29th January, 1970, are in progress.

मध्य प्रदेश में दूर संचार उपकरण बनाने वाले कारखाने

308. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार गत अनेक वर्षों से केन्द्रीय सरकार से राज्य में दूर संचार उपकरण बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिए आग्रह करती रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस बारे में हाल ही में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?